राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज प्रकोष्ठ)

क्रमांकः–एफ–15(1)पराविं/विधि/वि.ग्र.स./15/743 जयपुर दिनांकः– 02-12-15

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,समस्त, ।

विषयः–पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लाभार्थियों के चयन हेतु "विशेष ग्राम सभा" आयोजित करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक एफ–15(1) विग्रास/पराविं/विधि/2015/738 दिनांक 1.12.2015 के संदर्भ में निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1. विशेष ग्रामसभा के संदर्भ में जिला कलक्टर से सम्पर्क किया जाकर आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की जावें।
2. दिनांक 3.12.2015 तक जिला परिषद स्तर पर समस्त विकास अधिकारियों की बैठक अथवा video confrence की जाकर विशेष ग्राम सभा के आयोजन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये जावें । इस बैठक में जिला कलक्टर के प्रतिनिधि एवं District Manager ग्रामीण कौशल विकास योजना को भी आंमत्रित किया जावे ।
3. पंचायत समिति स्तर पर समस्त सचिव, ग्राम पंचायतों से विशेष ग्राम सभा की व्यवस्थाओं एवं एजेण्डा पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिनांक 4.12.2015 तक विकास अधिकारीगण द्वारा जारी करवाये जावें।

संयुक्त शासन सचिव(विधि)

प्रतिलिपिः–
1.निजी सचिव, मुख्य सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर।
2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,ग्रा.वि.पं.रा0विभाग,राजस्थान जयपुर।
3.निजी सचिव,शासन सचिव,ग्रामीण विकास विभाग,राजस्थान जयपुर।
4.प्रबंध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम,जयपुर।
5.जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान।
6.अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद,समस्त।
7.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव(विधि)